न्यायालय सिविल जज (जू0डि0)/जे0एम0, बिधूना, जनपद औरैया।

परिवाद संख्या–1943/2025
CNR No.UPAU120027522025

ओमपाल सिंह बनाम नरेन्द्र सिंह।
अन्तर्गत धारा–138 एन0आई0 एक्ट
थाना–बिधूना, जिला औरैया।

दिनांक–11.08.2025

पत्रावली आदेशार्थ नियत है। परिवादी के विद्वान अधिवक्ता को विपक्षी की तलबी के बिन्दु पर पूर्व में सुना जा चुका है। पत्रावली का अवलोकन किया।

परिवादी का संक्षेप में कथन है कि प्रार्थी ने दिनांक 10.11.2024 को अपनी धान की फसल विपक्षी को अपने खेत पर बेंची थी, जिसमें सम्पूर्ण धान का 84,000 रु0 हुआ था। विपक्षी ने उक्त धनराशि आठ दिन बाद देने का वादा किया। प्रार्थी ने विपक्षी को आठ दिन बाद फोन किया, तो विपक्षी टाल–मटोल करने लगा। प्रार्थी ने जब स्वयं जाकर पैसे मांगे, तो विपक्षी ने कोटक महिन्द्रा बैंक की एक चैक संख्या 000040 मुव0 84,000 रु0 दिनांकित 21.12.2024 की परिवादी को प्रदान की। उक्त चैक को परिवादी ने अपने खाता संख्या 3318155240 बड़ौदा यू0पी0 बैंक, बिधूना में भुगतान हेतु लगायी, तो विपक्षी के खाते में पर्याप्त धनराशि न होने के कारण चैक अनादृरित हो गयी और प्रार्थी का भुगतान नहीं हो सका। उक्त घटना के सम्बन्ध में प्रार्थी ने विपक्षी को पूरी बात बतायी, तो विपक्षी ने कहा कि हम खाते में रुपये लगा देंगे, आप पुनः चैक लगाना। जिस पर प्रार्थी ने पुनः दिनांक 27.01.2025 को उक्त चैक भुगतान हेतु बैंक में लगायी, जो पुनः दिनांक 04.03.2025 को विपक्षी के खाते में पर्याप्त धनराशि न होने के कारण चैक अनादृरित हो गयी। इसी बीच प्रार्थी बीमार हो गया, जब ठीक हुआ, तब दिनांक 21.04.2025 को परिवादी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से अभियुक्त को वैधानिक रजिस्टर्ड नोटिस प्रेषित किया। विपक्षी द्वारा बेईमानी की नियत से जानबूझकर धोखा देने की नियत से उक्त चैक प्रदान की। अभियुक्त का यह कृत्य धारा 138 एन0आई0 एक्ट की परिधि में आता है। अतः प्रार्थना है कि अभियुक्त को तलव कर दण्डित करने की कृपा करें।

परिवादी द्वारा परिवाद पत्र के समर्थन में प्रलेखीय साक्ष्य के रुप में स्वयं का शपथ पत्र, मूल चैक, चैक वापसी का ज्ञापन/मैमोरेण्डम, मूल रजिस्ट्री रसीद, रजिस्टर्ड नोटिस दिनांकित 21.04.2025, भारतीय डाक track Consignment आख्या दाखिल किये गये हैं।

परिवाद कथानक के समर्थन में परिवादी ने स्वयं को जरिये धारा 223 बी0एन0एस0एस0 के अन्तर्गत शपथ पत्र के माध्यम से परीक्षित कराया गया, जिसमें उसने परिवाद कथानक का समर्थन किया है। विपक्षी द्वारा दी गयी उक्त चैक को परिवादी द्वारा बैंक में भुगतान हेतु लगाने के बाद बैंक द्वारा दिनांक 04.03.2025 को वापस कर दी गयी। दिनांक 28.03.2025 चैक अनादरित हो गयी। परिवादी द्वारा विपक्षी को दिनांक 21.04.2025 को लीगल नोटिस भेजी गयी। विपक्षी पर दिनांक 01.05.2025 को तामीला पर्याप्त माना गया। परिवादी द्वारा उक्त परिवाद समय सीमा के अन्तर्गत दिनांक 22.05.2025 को संस्थित किया गया। इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर प्रथम दृष्टया विपक्षी नरेन्द्र सिंह के विरूद्ध धारा 138 एन0आई0 एक्ट

का अपराध बनना प्रतीत होता है। अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर विपक्षी नरेन्द्र सिंह को अन्तर्गत धारा–138 एन0आई0 एक्ट के अपराध के विचारण हेतु तलब किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त **नरेन्द्र सिंह** को अन्तर्गत धारा 138 पराक्राम्य लिखित अधिनियम के अपराध के विचारण हेतु तलब किया जाता है। अभियुक्त को सम्मन जारी हो। परिवादी पैरवी अविलम्ब करे। पत्रावली वास्ते हाजिरी दिनांक 12.09.2025 को पेश हो।

(प्रवीण सिंह)
सिविल जज (जू0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट
बिधूना, औरैया।
J.O. Code: UP 3441